

न्यायालय:- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त  
न्यायाधीश, अशोकनगर, श्रंखला न्यायालय चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)  
 (समक्ष – सैफी दाऊदी)

अपील क्र. 61ए/17  
संस्थित दिनांक 20.10.16

मूर्ति श्री 1008 श्री चिंताहरण हनुमानजी मंदिर  
 फतेहावाद तिराहा चंदेरी द्वारा  
 पुजारी/व्यवस्थापक कंछेदी पुत्र बलरामदार  
 चिंताहरण हनुमानजी मंदिर फतेहावाद तिराहा  
 चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थी

### विरुद्ध

1. सिरनाम सिंह पुत्र धनसिंह गड़रिया आयु 40 वर्ष, निवासी माधवनगर खाई मोहल्ला, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.
2. बाबूलाल पुत्र हरप्रसाद गड़रिया आयु 45 वर्ष, निवासी बादल महल के पास चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.
3. गजराम पुत्र अमान गड़रिया
4. भगवानदास पुत्र गोरेलाल गड़रिया
5. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर म.प्र.
6. सर्व साधारण

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी/वादी द्वारा	:— श्री के.एन. भार्गव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 2, 3, 4 द्वारा	:— श्री चौबे अधिवक्ता।
शेष प्रत्यर्थीगण	:— अनिर्वाहित

---

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक ..... को पारित किया गया)

1. अपीलार्थी कच्छेदीलाल "जिसे इसमें इसके पश्चात् वादी कहा जायेगा" ने वर्तमान अपील व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 चंदेरी पीठासीन न्यायाधीश श्री जफर इकवाल द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 24ए/16 इ.दी. में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 23.09.16, जिसके द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष विषयक वाद नामंजूर किया गया है, के विरुद्ध अंतर्गत आदेश 41 नियम 1 सहपठित धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत की है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के अभिवचन इस प्रकार रहे हैं कि वादी चंदेरी/फतेहावाद तिराहा स्थित श्री 1008 श्री चिंताहरण हनुमानजी मंदिर का पुजारी/व्यवस्थापक होकर यह मंदिर राजस्व अभिलेख में सर्वे क्रमांक 05/1/1 ग्राम फतेहावाद के नाम से शासकीय मंदिर के रूप में दर्ज है। वादी को अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी/पृष्ठ पंजीयन अधिकारी ने मंदिर का पुजारी एवं व्यवस्थापक नियुक्त किया है और नियुक्ति के पश्चात् से ही वादी मंदिर की पूजा सेवा, साफ-सफाई लाइट आदि समस्त कार्य की व्यवस्था करता है।

3. प्रतिवादीगण का मंदिर से कोई संबंध नहीं है। प्रवितादी क्रमांक 1 लगायत 4 ताकत के बलबूते मंदिर की शासकीय भूमि एवं शासकीय मंदिर को हड़पना चाहते हैं। वाद संलग्न नक्शे में ताल स्याही से दर्शित भाग पर उन्होंने जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। यही भाग वर्तमान वाद हेतु वादग्रस्त भाग है, जिसे वादग्रस्त भूमि संबोधित किया जायेगा। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के मन में बदनियति होने से वह मंदिर की भूमि एवं मंदिर को हड़पना चाहते हैं और वादी को पुजारी पद से हटवाना चाहते हैं इस कारण वादी को गलौच करके ताकत के बल पर मंदिर भूमि का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और वादी द्वारा कई बार मना करने पर भी वे नहीं मान रहे हैं।

4. वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में स्वयं को अपूर्तनीय क्षति कारित होने तथा उसे वाद कारण दिनांक 29.08.13 को प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा उसे गाली गलौच करने व जबरन निर्माण कार्य शुरू करने से उत्पन्न हुआ कथित कर वाद मूल्यांकन न्याय शुल्क अवधि एवं श्रवण क्षेत्राधिकारिता का अभिवचन कर प्रवितादी क्रमांक 1 लगायत 4 के विरुद्ध प्रार्थित स्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने की प्रार्थना अभिवाचित कर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना विद्वान विचारण न्यायालय से की है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 की ओर से वाद का लिखित उत्तर प्रस्तुत कर यह अभिवचन अभिवाचित किया है कि सर्वे क्रमांक 05/1/1 क्षेत्रफल 48.537 हे. भूमि के लगभग 20वाई 20 फुट की भूमि पर श्री हनुमानजी का मंदिर श्री वृन्दावन दास सन्यासी ने जनता से चंदा एकत्रित कर बनवाया था। भूमि शासकीय होकर मध्य प्रदेश राज्य के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। वादी ने प्रवितादीगण को सूचना दिये बिना स्वयं को लाभान्वित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी से मंदिर का ट्रस्ट बनवा लिया है। वादी को मात्र पुजारी नियुक्त किया गया है। चंदेरी तहसीलदार एवं पार्षद को पदेन कार्यवाहक बनाया गया है। वादी सिर्फ मंदिर में पूजा आदि करता है। प्रसादि एवं

आरती का खर्च आम जनता एवं प्रतिवादीगण करते हैं। मंदिर का चढ़ावा वादी अपने पास रखता है। मंदिर की समस्त व्यवस्थायें प्रतिवादीगण करते हैं।

6. वादी ने शासकीय भूमि एवं मंदिर को हड़पने के प्रयास में मिथ्या आधारित वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने ताकत के बल पर मंदिर की भूमि पर कब्जा नहीं किया है बल्कि वादी की सहमति से ही निर्माण कार्य हो रहा था। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 मंदिर के हित एवं विकास हित में कार्य करते हैं। मंदिर को सही समय पर खुलने एवं बंद करने हेतु प्रतिवादीगण प्रत्येक दिन मंदिर जाते हैं जो वादी को अच्छा नहीं लगता और वादी की मनमानी नहीं हो पाती है। मंदिर का निर्माण वादी की सहमति एवं गड़रिया समाज के सहयोग से हो रहा था।

7. प्रतिवादीगण ने वादी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा या गाली गलौच नहीं की है। वादी को किसी दिनांक को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। बाजार मूल्यांकन अनुसार वादी ने वाद मूल्यांकन नहीं किया है। वाद अवधि वर्जित है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। विशेष कथन में वाद पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति अभिवाचित कर प्रस्तुत वाद विशेष हर्जा पांच सौ रुपये वादी से दिलाये जाने की प्रार्थना सहित साव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय में की गयी थी।

8. प्रतिवादी क्रमांक 5 एवं 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की है।

9. वर्तमान अपील अपीलार्थी/वादी ने इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी मंदिर का व्यवस्थापक एवं पुजारी है और उसे अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी ने व्यवस्थापक पुजारी नियुक्त किया है और वादी ने मंदिर में प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिकार बिना मंदिर एवं उसकी भूमि को हड़पने व कब्जा करने व अवैध निर्माण करने की कोशिश करने पर उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया था जिसे विचारण न्यायालय ने मान्य नहीं किया है। अपने वाद के समस्त अभिवचनों को वादी ने पूर्णतः प्रमाणित किया था, किन्तु विचारण न्यायालय ने उसे प्रमाणित नहीं मानकर भारी भूल की है। शासन द्वारा अपीलार्थी को मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया है। पुजारी की हैसियत से और मंदिर के हितों का संरक्षण करने हेतु वादी ने वाद प्रस्तुत किया था जिसे विचारण न्यायालय ने मान्य नहीं किया है, जो कि विधि के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचना का एकमात्र आधार वाद निरस्त करने हेतु रखा है जो सही नहीं है। विचारण न्यायालय ने वरिष्ठ न्यायालयों के प्रतिपादित सिद्धांत एवं न्याय दृष्टांतों के प्रतिकूल विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है।

10. क्षेत्राधिकार वाद मूल्यांकन, आदि का अभिवचन कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 23.09.16 को अपास्त कर अपील स्वीकार कर वादी द्वारा प्रार्थित अनुतोष साव्यय उसे प्रदत्त किये जाने की प्रार्थना अपील ज्ञापन में

अभिवाचित की गयी है।

11. इस प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष यह अवधारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि—

**—: अवधारणीय प्रश्न :—**

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.16 विधि विरुद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। “यदि हां तो”

2. सहायता एवं व्यय ?

**“साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष ”**

**अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :—**

12. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी कंछेदीलाल ने अपना अवलंबन प्रदर्श पी 1 लगायत 10 के दस्तावेजों पर अवलंबित कर स्वयं का तथा वादी साक्षी बाबूलाल पुत्र गणपत मोगिया का परीक्षण अंकित कराया है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 2 बाबूलाल ने स्वयं तथा अरविंद कुमार चौबे प्रति.सा.2 शिवदयाल चौबे प्रति.सा.3 का परीक्षण न्यायालय में अंकित कराया है।

13. वादी कंछेदीलाल वा.सा.1 फतेहावाद तिराहा स्थित मंदिर श्री 1008 श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर का पुजारी एवं व्यवस्थापक होना तथा उसे अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी द्वारा नियुक्त कर मंदिर शासकीय तथा शासकीय भूमि में स्थित होना और उसी अनुसार उसका नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होकर वर्तमान तक उसी के द्वारा मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था किया जाना अभिकथित कर वादग्रस्त मंदिर के अतिरिक्त मंदिर की खुली होना जिससे किसी का कोई संबंध नहीं होना अभिकथित कर प्रतिवादीगण द्वारा खुली भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा किये जाने का प्रयास करना और मंदिर की भूमि अति कीमती होने से प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ जाना एवं मंदिर की भूमि पर निर्माण कर कब्जा करना चाहना अभिकथित करता है। वादी अपने मुख्य परीक्षण में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा उसे गंदी गालियां देना और ताकत के बल पर धमकी देना और वादी द्वारा उनके विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी में रिपोर्ट करना तथा वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिये जाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से उनके हौंसले बुलंद होना कथित करता है।

14. साक्षी बाबूलाल मोगिया वा.सा.2 भी अपने मुख्य परीक्षण में वादी के अभिकथन के समरूप अभिकथन अभिकथित करता है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 2 बाबूलाल प्रति.सा.1, तथा उसकी ओर से परीक्षण कराये गये साक्षीगण अरविंद कुमार चौबे प्रति.सा.2, एवं शिवदयाल चौबे प्रति.सा.3 प्रतिवादीगण के समर्थन में मुख्य परीक्षण में अभिकथन

अभिकथित करते हैं।

15. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपील ज्ञापन में अभिवाचित तथ्यों को ही अपने अंतिम तर्क में अवलंबित किया है, जबकि प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को विधियोचित रूप से पारित किया जाना अपने अंतिम तर्क में अवलंबित किया है।

16. वादी ने प्रदर्श पी 1 लगायत 10 के दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। प्रदर्श पी 8 का दस्तावेज अपर कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 19.09.13 है, जिसके अधीन अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग चंदेरी को आवेदक कंचेदीलाल मोगिया द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

17. प्रदर्श पी 9 का आदेश डिप्टी कलेक्टर वास्ते कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.14 होकर जन सुनवाई में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच कर जांच प्रतिवेदन 07 दिवस में भिजवाये जाने हेतु पारित आदेश है। तत्पश्चात् प्रकरण क्रमांक 02बी/113/2005-06 है। आदेश दिनांक 09.11.10 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी ने मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 के अंतर्गत लोक न्याय ट्रस्ट श्री श्री 1008 चिंताहरण हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट तिराहा रोड़ चंदेरी आवेदनकर्ता कंचेदी लाल के गठन हेतु नियुक्त होने का अभिकथन कर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदनकर्ता कंचेदीलाल का आवेदन पत्र निरस्त कर पृष्ठ क्रमांक 05 पर अभिलिखित प्रबंधकीय समिति गठित करते हुए तहसीलदार चंदेरी को पदेन सचिव तथा संबंधित क्षेत्र के पार्षद को पदेन सदस्य और वादी कंचेदीलाल को मंदिर के कार्यकलाप में रूचि रखने के कारण मात्र पुजारी की हैसियत में रखकर अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी राजस्व ने स्वयं को मंदिर की प्रबंधकीय समिति का अध्यक्ष उक्त आदेश में नामित किया है।

18. अर्थात् राजस्व प्रकरण क्रमांक 02बी/113/2005-06 के आदेश दिनांक 09.11.10 की व्यवस्था अनुसार वादी कंचेदीलाल किसी भी दृष्टिकोण से वादग्रस्त मंदिर भूमि का व्यवस्थापक नहीं है अपितु मात्र पुजारी है। किसी मंदिर के संबंध में और यदि ऐसा मंदिर शासकीय हो तो उसके संबंध में विधि निम्नानुसार होगी—

19. किसी मंदिर तथा उससे संलग्न किसी भूमि को राज्य द्वारा उस मंदिर को दिये जाने पर इस मंदिर तथा स्थावर संपत्ति भूमि का स्वामी उस मंदिर में विराजित देव मूर्ति को 'आइडोल' अर्थात् अवयस्क व्यक्ति के रूप में माना जायेगा और इस आइडोल की ओर से किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाने का या उसके विरुद्ध लाये गये वाद में प्रतिरक्षा करने का जीवित व्यक्ति के रूप में अधिकार उस व्यक्ति को होगा जो कि विधिवत रूप से आइडोल की संपत्ति की सुरक्षार्थ संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया हो।

20. विधि शास्त्र की विधिक व्यक्ति की अवधारणा में देव मूर्ति को अमूर्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा उसकी ओर से कार्य करने हेतु जीवित व्यक्ति के रूप में उसका विधिवत नियुक्त संरक्षक अथवा प्रबंधक ही उसकी ओर से वाद प्रस्तुत करने हेतु या उसके लिए प्रतिरक्षा करने हेतु सक्षम व्यक्ति होते हैं। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 09.11.2010 के पृष्ठ क्रमांक 5 पर अभिवर्णित प्रबंधकीय समिति के गठन अनुसार प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार या तो इस समिति के अध्यक्ष अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा इस समिति के सचिव पदेन तहसीलदार चंदेरी को ही है और यदि ये अपनी ओर से वाद लाना नहीं चाहते तब समिति द्वारा प्रस्ताव ठहराव कर यदि समिति के पदेन संबंधित क्षेत्र के पार्षद अथवा पुजारी इनमें से जिसे भी वाद लाने हेतु नियुक्त कर अधिकृत करे तब उसके पश्चात् ही संबंधित पदेन पार्षद या पुजारी द्वारा वाद लाया जा सकता है अन्यथा नहीं।

21. जहां कि वादी ने स्वयं को समिति की ओर से वाद लाने हेतु अधिकृत किया जाना अभिलेख पर प्रकट ही नहीं किया है वहां ऐसी स्थिति में वाद लाने हेतु वादी को कोई विधिक प्रास्थिति अर्थात् लोकस स्टैंडी सीधे ही वाद प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त नहीं है, अपितु **व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 91 के प्रावधानान्तर्गत** लोक उपताप के विरुद्ध वाद लाने हेतु ऐसा वाद या तो महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा या दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जायेगा। अर्थात् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद भी उक्त विधिक वर्जना से ग्रसित वाद होकर ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वाद होना प्रकट हो रहा है, जिसे प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद लाने की कोई विधिक प्रास्थिति प्राप्त ही नहीं है और न ही उसने महाधिवक्ता के माध्यम से वर्तमान वाद को प्रस्तुत किया है।

22. स्वयं वादी कच्छेदीलाल विद्वान विचारण के समक्ष अभिकथित किये गये परीक्षण में कंडिका 10 में यह तथ्य प्रकट करता है कि उसे सिर्फ पुजारी नियुक्त किया गया है उसने दावा प्रस्तुत करने के पूर्व कलेक्टर अथवा एसडीओपी से कोई अनुमति नहीं ली और न ही कलेक्टर को कोई सूचना पत्र दिया। स्वयं वादी का उक्त कथन उसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 91 में अनुद्यात पूर्ववर्ती आवश्यक शर्त का पालन करने हेतु विफल रहने की वर्जना को वादी पर अधिरोपित कर उसे वादी की हैसियत में वाद प्रस्तुत करने से रोक देता है।

23. वादी कच्छेदीलाल अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में अमोलाराय एवं अक्षय कुमार को पहचानना कथित कर इन्हें शपथपत्र करना और अमोलाराय से तीस हजार रुपये और अक्षय कुमार से सत्ताइस हजार रुपये प्राप्त करना भी कथित करता है और कंडिका 12 में लोगों के द्वारा कोई चंदा की रसीद या सामान का ब्यौरा पेश नहीं करना भी कथित करता है। वादी इस तथ्य को कहीं प्रकट नहीं करता कि मात्र पुजारी की हैसियत में उसे आदेश दिनांक 09.11.10 द्वारा अनुविभागीय राजस्व ने नियुक्त किया है न तो उसे प्रबंधकीय समिति का अध्यक्ष और न ही सचिव नामित किया गया है तब

वह किस हैसियत से लोगों से नगद राशि आदि प्राप्त करता रहा है जबकि राशि प्राप्ति हेतु न तो उसने स्वयं को प्रबंधकीय समिति की ओर से अधिकृत किया जाना ही अभिलेख पर प्रमाणित किया और न ही अधिकृत किये जाने विषयक कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया है।

24. ऐसी स्थिति में वादी का स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आना भी प्रकट नहीं होता। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को नामंजूर कर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.09.16 को पारित किये जाने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अस्तु अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से नामंजूर की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 23.09.16 की पुष्टि की जाती है।

25. वादी अपना अपील व्यय वहन करते हुए प्रत्यर्थागण का अपील व्यय भी वहन करेगा।

26. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो, आंकलित की जाये।

27. उक्तानुसार अपील डिक्री की रचना की जाये।

28. तदनुसार अपील निराकृत।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया  
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. जिला न्यायाधीश अशोकनगर ,  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश ,  
अशोकनगर (म.प्र.)  
दिनांक— 24.11.17

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. जिला न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश  
अशोकनगर (म.प्र.)